खंड २ संख्या ८

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि ९ जून, १९६९

सत्यमेव जयते

प्रधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय बिहार पटना
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय में मुद्रित
१९७०

[मूल्य—३७ पैसे]

श्री युवराज—सभापति महोदय, सरकार ने उत्तर में यह बताया है कि बेकारों का आंशिक सर्वेक्षण हो चुका है, तो क्या सरकार पूर्णरूपेण जानकारी करने के लिए बेकार शिक्षित व्यक्तियों को डाक द्वारा निबन्धन कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री डूमरलाल बैठा—डाक द्वारा निबन्धन का कराने की व्यवस्था भी है, किन्तु, अक्सर लोग नियोजन कार्यालय में जाकर अपना नाम दर्ज कराते हैं।

श्री युवराज—सभापति महोदय, क्या सरकार को पता है कि श्रम नियोजन कार्यालय में बेकार व्यक्तियों के नाम निबन्धन कराने में काफी घूस देना पड़ता है, इसलिये क्या सरकार डाक द्वारा निबन्धन कराने की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री डूमरलाल बैठा—यह सुविधा तो है ही।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता के विरुद्ध आरोप।

१२। श्री युवराज—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि संविद सरकार के तत्कालीन राजस्व मंत्री, श्री इन्द्रदीप सिंह ने मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पातेपुर गांव की राज्य सरकार की सैरात तथा जमीन बन्दोबस्ती के भ्रष्टाचार के अपराध में तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, श्री शिशिर कुमार लाल को निलंबित करने का आदेश गत १९६७ ई० में निर्गत किया था ;

(२) क्या यह बात सही है कि दो वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी अबतक श्री शिशिर कुमार लाल, वर्त्तमान सहायक सचिव, राजनीति एवं नियुक्ति (पुलिस), बिहार निलम्बित नहीं किये जा सके हैं ;

(३) क्या यह बात सही है कि संबंधित संचिका दबाकर रखी गई है ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो कबतक संविद सरकार के आदेश का अनुपालन सरकार करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिहर प्रसाद सिंह (मुख्य मंत्री)—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। निलंबन के आदेश की स्वीकृति दिनांक २७ जनवरी, १९६८ को हुई थी।

(२) चूंकि दिनांक २५ जनवरी, १९६८ को ही संविद सरकार गिर गई थी, इसलिये उस तिथि के बाद हुए सभी निर्णय को अनुवर्त्ती सरकार के आदेशानुसार पुनर्विचार के लिये रखा गया। अनुवर्त्ती सरकार ने श्री लाल से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का आदेश दिया। श्री लाल से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री युवराज--क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि श्री शिशिर कुमार लाल, तत्कालीन एल० आर० डी० सी०, हाजीपुर का निलम्बन इसलिये हुआ था कि लैंड रिफोर्म ऐक्ट के खिलाफ उन्होंने परती और संरात जमीन की बन्दोबस्ती की थी ?

श्री बसन्त नारायण सिंह—इसके लिए समय चाहिए।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह--सभापति महोदय, मैं उस दिन आया था, इसलिए इस प्रश्न का जवाब लाजिमी तौर पर मुझको देना है ऐसा मालूम पड़ता है कि पातेपुर की जमीन की बन्दोबस्ती के आरोप में श्री लाल का निलम्बन आदेश हुआ था।

श्री युवराज—संविद सरकार के निलम्बन आदेश का आधार क्या था ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—आधार तो यही था, पातेपुर की जमीन की बंदोबस्ती।

श्री युवराज--संविद सरकार ने जो दोष पाकर निलम्बन किया था, उसको स्पष्ट रूप बताइये कि किस-किस आरोप के अपराध में निलम्बन हुआ था ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—इसके लिये समय चाहिये।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)—मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री हरिनाथ मिश्र—सभापति महोदय, प्रश्न स्पष्ट है। यह सुझाव रखा गया था कि श्री लाल को किन-किन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। इस सम्बन्ध में केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि समय चाहिये और सूचना मिले। सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देना चाहिये। यदि मैं उचित समझूंगा, तो स्पष्टीकरण मांगेंगे। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। नोटिस तो उनको एक सप्ताह पहले दी जा चुकी है। उनको आज तैयार होकर आना चाहिये था।

श्री बंशनाथ मेहता—सभापति महोदय, परमीशन किसको मिला है ? मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि पहले इस तरह का आदेश था कि जो जिस विभाग के मंत्री हो, वे अपने विभाग के प्रश्नों के जवाब दें। यदि संबंधित मंत्री मौजूद नहीं हो, तो अध्यक्ष महोदय की इजाजत से दूसरे मंत्री उनका जवाब दे सकते हैं। इसलिये, मैं जानना चाहता हूं कि जो इस विभाग के संबंधित मंत्री हैं, वे जवाब दे रहे हैं या आपने अनुमति दी है ?

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)—मैंने भी यही पूछा था जिसका वे स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मालूम होता है कि राजस्व मंत्री शायद तैयार होकर नहीं आये हैं, इसलिये वे जवाब दे रहे हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रियों में विभागों का बटवारा हो गया है। अभी तक हमलोगों को यह मालूम है कि इस सरकार और मुख्य मंत्री में यह क्षमता नहीं है कि वे विभागों का बटवारा कर सकें और अभी तक हमलोग यही जानते हैं कि विभागों का बटवारा नहीं हुआ है। यदि आज ९ वर्ष दिन के बाद विभागों का बटवारा हुआ है, तो हमलोगों को यह सूचित किया जाय कि किस-किस विभाग के कौन-कौन प्रभारी मंत्री हैं। सभापति महोदय, यह बड़े दुःख और लज्जा की बात है कि आज कोई काम नहीं हो रहा है, संचिकायें पड़ी हुई हैं, इसलिये कि विभागों का बटवारा नहीं हुआ है। हमारे मंत्रियों को कोई काम नहीं है और एक कहावत है कि किसी को कोई काम नहीं हो, तो उसे मक्खी मारना कहते हैं, जैसा कि उस दिन भी मैंने कहा था। आज भी चूंकि विभागों का बटवारा नहीं हुआ है, इसलिये कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं मालूम यह सरकार कैसी सरकार है और किस काम के लिये है। सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि अभी तक विभागों का बटवारा नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ और नहीं हुआ, तो सरकार जिस रास्ते से आयी है, उसी रास्ते से इसे चले जाना चाहिये। विभागों को जनता के भाग्य पर छोड़ देना चाहिये। जनता फैसला कर ले गई कि क्या करना लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, और चपरासी, स्टेनों, हवाई जहाज आदि सब कुछ की व्यवस्था है और आराम है फिर भी मंत्रिगण इतने निकम्मे हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—शर्म और दुखः की यह बात जरूर है कि इस तरह से असंगत बात उठाई जाय। हमारे बुजुर्ग नेता जो मंत्री भी रह चुके हैं, बार-बार इस तरह से असंगत बात उठाते हैं जो उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिये।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)—शान्ति, शान्ति। प्रश्न छोड़ कर दूसरी बात नहीं होनी चाहिये। मैं इस सवाल को स्थगित करता हूं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—सभापति महोदय, यह प्रश्न स्थगित हो गया था फिर भी आज इसका उत्तर आना चाहिये था, लेकिन नहीं आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे? इसका मानी है कि यह नियुक्ति विभाग का प्रश्न है, इसलिये उस विभाग के मंत्री को जवाब देना चाहिये।

श्री केदार पाण्डेय--सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नियुक्ति विभाग का प्रश्न है जिसका जवाब उस दिन भी माननीय मंत्री ने दिया था, इसलिये, इन्हें आज भी जवाब देना चाहिये।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)--आप यदि जवाब देते हैं, तो आपकी ज्वायन्ट रेसपौन्सिबिलिटी है, फिर यह कहना कि यह नियुक्ति विभाग का प्रश्न है, कोई तर्क नहीं रखता है, बात हमारी समझ में नहीं आती है।

श्री केदार पाण्डेय--सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने नियुक्ति विभाग के प्रश्नों का जवाब दिया था। कुछ ऐसे सवाल आ गये थे जिसके कारण सवाल पोस्टपोन हो गया था। आज जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह--माननीय सदस्य प्रश्न करें, हम जवाब देंगे।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)--प्रश्न तो हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह--बस-बस प्रश्न एक ही बार होते हैं, तो हम जवाब कैसे दें।

श्री हरिनाथ मिश्र--सभापति महोदय, मेरा सुझाव था कि अमुक-अमुक बिन्दुओं पर माननीय मंत्री तैयार होकर आयें और वक्तव्य दें, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में वक्तव्य देने के लिए तैयार है?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह--सभापति महोदय, जो सुझाव थे, वे कहीं अंकित नहीं हैं, मैं साफ-साफ बतला देना चाहता हूं कि अगर कोई सुझाव है, तो असंगत है, हमारे मानने से स्थगित नहीं हुआ था। आपलोगों ने कह दिया है और चेयर का आदेश शिरोधार्य होता है, हमने मान लिया। किसी प्रश्न को उठाना चाहिए था.....

श्री हरिनाथ मिश्र--सभापति महोदय, माननीय मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)--शान्ति। माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री युवराज--सभापति महोदय, प्रश्न स्थगित हो गया था, तो हमें इतमिनाद हुआ था।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)--आप प्रश्न पूछिए।

श्री युवराज—सभापति महोदय, मैंने जो माननीय मंत्री से प्रश्न किया था कि निलंबन की क्या वजह थी, तो सरकार ने जवाब नहीं दिया था, अब सरकार जवाब दे।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—सभापति महोदय, संविद सरकार का पतन २५ जनवरी, १९६८ को हुआ था। संविद सरकार ने पतन होने के बाद २७ जनवरी १९६८ को ससपेंशन आर्डर पास कर दिया।

श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, सवाल माननीय सदस्य का क्या है और सरकार जवाब दे रही है कि कब संविद सरकार का पतन हुआ, कब आर्डर पास हुआ था। इनका सवाल बिल्कुल सीधा है कि निलंबन का आदेश संविद सरकार ने किया था या नहीं?

श्री युवराज—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि निलंबन का आदेश जो दिया गया उसका क्या कारण था।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—सभापति महोदय, इस तरह मान लिया गया था कि वे भ्रष्टाचार के दोषी हैं।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)—शान्ति। इनपर अभियोग क्या था, सीधे जवाब दीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—इन्होंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया था कि अभियोग क्या था? वह संचिका तो पूरी थी नहीं, लेकिन, अदर्स सूत्र से मालूम होता है कि जमीन की बन्दोबस्ती को लेकर ऐसा आदेश दिया गया था। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, कोई बेईमानी की बात नहीं थी। (शोरगुल)

श्री कर्पूरी ठाकुर—सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं। (शोरगुल)

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—सभापति महोदय, आरोप यह था, "क्या यह बात सही है कि तत्कालीन राजस्व मंत्री, श्री इन्द्रदीप सिंह ने मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पातेपुर गांव की राज्य सरकार की सैरात तथा जमीन-बन्दोबस्ती के भ्रष्टाचार के अपराध में तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, श्री शिशिर कुमार लाल को निलंबित करने का आदेश गत १९६७ ई० में निर्गत किया था।" जमीन परती रहती है, तो उसके लिए जमीन परती नहीं छोड़ने के उद्देश्य से कानून बना हुआ है। बेईमानी का कोई अभियोग नहीं झलकता है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास अभियोग की तालिका है जिसके आधार पर निश्चित रूप से श्री शिशिर कुमार लाल पर आरोप लगाया गया था और सरकार की तरफ से उन अपराधों के फलस्वरूप उनको निलम्बित किया गया था ? क्या सरकार की संचिका में निश्चित रूप से सरकार की ओर से आरोप वर्ज हैं जिनके चलते उनको निलम्बित करने का आदेश पारित हुआ था, यदि हां, तो व क्या थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)—मैंने कह दिया कि सरकार की ओर से पूरा-पूरा जवाब नहीं मिलने के कारण मैं इस प्रश्न को स्थगित करना चाहता हूं। इस पर और अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, और भी बहुत-से प्रश्न सूची में हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—सभापति महोदय, सरकार को उत्तर देने में सुविधा हो, इस खयाल से मैं कुछ कहना चाहता हूं। श्री लाल का पहला स्पष्टीकरण और अन्तिम स्पष्टीकरण में कोई अन्तर है या नहीं और पहले स्पष्टीकरण के बाद निलम्बन का आदेश हुआ था या नहीं, आप देखें।

श्री हरिनाथ मिश्र—सभापति महोदय, जितने भी पूरक प्रश्न पूछे गए, उनके आधार पर सरकार एक डिटेल्ड स्टेटमेंट यहां दे और उसके बाद माननीय सदस्यों को पूरक पूछने दिया जाय।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)—जितने भी पूरक प्रश्न पूछे गए हैं, वे सरकार को पूर्णरूप से तैयार हो कर जवाब देने के लिए काफी हैं।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—अभी तक, सभापति महोदय, उत्तर के सम्बन्ध में वक्तव्य देने की परिपाटी नहीं अपनायी गयी है।

श्री यशवन्त कुमार चौधरी—सभापति महोदय, माननीय श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह जवाब देने के लिए उठते हैं, तो सभी मंत्रिगण उनकी मदद में उठते रहते हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र—सभापति महोदय, सारे बिन्दुओं पर सरकार का एक स्टेटमेंट हो, इस सुझाव पर क्या आदेश हुआ ?

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)—जितने पूरक प्रश्न पूछे गये हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार पूरी तैयारी के साथ अगले दिन जवाब दे।